

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, औसियां

पीठासीन अधिकारी - श्री राजकेश मीणा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या- 130ए/2022

प्रार्थीया:-

मानसिंह उर्फ भाउलाल पुत्र श्री खेमाराम जाति माली निवासी ग्राम चौपारानी चारणान  
तहसील तिवरी जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण:-

- 1 गिरधारीराम पुत्र श्री रूगनाथराम
- 2 गुलाबराम पुत्र श्री मोहनराम
- 3 अर्जुनराम पुत्र श्री रूगनाथराम
- 4 गंगाराम पुत्र श्री खेमाराम
- 5 घेवरराम पुत्र श्री खेमाराम
- 6 जेठाराम पुत्र श्री रूपाराम
- 7 पुखराज पुत्र श्री रूगनाथराम
- 8 पदमसिंह पुत्र श्री रूगनाथराम
- 9 पन्नालाल पुत्र श्री रूगनाथराम
- 10 राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री रूपाराम
- 11 समदु पत्नी श्री रूपाराम
- 12 केसर देवी पुत्री श्री मोहनराम
- 13 खेताराम पुत्र श्री मोहनराम
- 14 गीता पुत्री श्री बलदेवराम
- 15 चम्पा पत्नी श्री बलदेवराम
- 16 झूमरराम पुत्र श्री बलदेवराम
- 17 तारा देवी पुत्री श्री मोहनराम
- 18 प्रेमराम पुत्र श्री बलदेवराम
- 19 मंजू पुत्री श्री बलदेवराम
- 20 मुमी पुत्री श्री बलदेवराम
- 21 मीरा देवी पुत्री श्री बलदेवराम
- 22 रूपा देवी पुत्री श्री मोहनराम
- 23 राजेन्द्र पुत्र श्री बलदेवराम
- 24 विधा पुत्री श्री मोहनराम
- 25 सत्यनारायण पुत्र श्री बलदेवराम
- 26 भीखाराम पुत्र श्री मोहनराम सभी जाति माली निवासी ग्राम कोटडा तहसील तिवरी  
जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय:-

दिनांक:-

2/8/2022


प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम कोटडा की सरहद में स्थित खसरा संख्या 140/1 रकबा 1.4892 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की नकल संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौस में उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 25 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 140 रकबा 2.2015 हैक्टेयर व पश्चिम दिशा में 139 रकबा 0.6718 हैक्टेयर व खसरा संख्या 124 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण 26 की खातेदारी की भूमि आई हुई है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा

काश्त सुदा भूमि की तरफ की सीमाओं को आगे पीछे करके खुद बुर्द करना शुरू कर दी थी तथा जबरन कब्जा करने हेतु आमदा हुए। इसलिए प्रार्थी ने सीमांकन की शक्ति राजकोश में जमा करवाकर जो नियमानुसार हल्का पटवारी से सीमांकन करवाने हेतु दिनांक 12.04.2022 को सीमांकन करवाने बाबत हल्का पटवारी व भू अधिकारी निरीक्षक मौके पर आए लेकिन मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा विवाद करने पर सीमांकन का पूर्ण कार्य नहीं हो सका तथा मौका फर्द में यह अंकित किया कि मौके पर विवाद है तथा शान्ति भंग होने का पूर्ण अन्देश है। उक्त मोट के बाद सीमांकन का कार्य पूर्ण नहीं करवाया जा सका जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को काफ़ी समझाईस भी की लेकिन अप्रार्थीगण नहीं मान रहे है तथा मौके पर लड़ाई झगडा करने पर अमादा है। इसलिए प्रार्थी पत्थर गडढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। सीमांकन रिपोर्ट की नकल संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थीगण अपनी भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाकर तथा सीमाओं पर पत्थर गडढी नहीं करवा करके प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओं पर पत्थर गडढी करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम कोटडा में स्थित है इसलिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः ग्राम कोटडा के खसरा नम्बर 140/1 की पत्थर गडढी करवाने का आदेश फरमाया जाये।


पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर डाक द्वारा सम्मन जारी किए गए। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। एकपक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाल का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 140/1 रकबा 1.4892 हैक्टेयर ग्राम कोटडा, तहसील तिवरी, जिला जोधपुर में खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थर गडढी चाही गई है। प्रार्थी को उक्त भूमि की पत्थर गडढी करवाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

#### आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 140/1 रकबा 1.4892 हैक्टेयर मौजा ग्राम कोटडा, तहसील तिवरी, जिला जोधपुर की पत्थर गडढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थर गडढी के वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाएं रखने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद ली जाये। पालना हेतु तहसीलदार तिवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
राजकेश मीणा  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आदेश आज दिनांक 2/8/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

  
राजकेश मीणा  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां